

राजस्थान सरकार
वित्त(राजस्व)विभाग

क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/2011

जयपुर दिनांक- 01.05.2018

-आज्ञा-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा वर्ष 2013 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंघानुसार कार्मिक (क-4/II) विभाग के अशा.टीप कमांक प0 9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 03.08.2017 के द्वारा नियुक्ति की निरंतरता में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा एस.बी.सिविल. रिट मि. याचिका संख्या 76/2018 श्री श्याम प्रताप सिंह चारण बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित किए गए आदेश दिनांक 21.03.2018 की पालना में राज. राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा-2013 के अन्तर्गत एनजी श्रेणी के पदों पर सेवा आवंटन का पुनः परीक्षण उपरान्त कार्मिक विभाग (क-4/II) विभाग ने अशा.टीप कमांक प0 9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 7(1)(I) के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (लेखाधिकारी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन भत्तों पर एतद्वारा द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि इस विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्धारित तिथि अथवा पूर्व में आधारपूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग में रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी :-

क्र. सं.	मेरिट	रोल नं.	नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1.	169	932612	रघुनाथ राम	पिछडा वर्ग (NG)	20.07.1978	
2.	183	911805	महेन्द्र सिंह	पिछडा वर्ग (RG)(NG)	15.01.1976	
3.	257	942215	शैलेन्द्र चारण	पिछडा वर्ग (RG)(NG)	18.10.1983	
4.	351	912003	हनुमान प्रसाद	पिछडा वर्ग (RG)(NG)	15.05.1980	
5.	352	922096	हरिमोहन शर्मा	सामान्य (NG)	08.07.1980	
6.	369	942268	सहीराम	पिछडा वर्ग (RG)(NG)	02.08.1985	
7.	374	934545	राजेन्द्र पुनिया	पिछडा वर्ग (RG)(NG)	06.07.1986	
8.	396	902874	अमित कुमार शर्मा	सामान्य (RG)(NG)	19.04.1980	

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं :-

1. उक्त सेवा आवंटन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272-76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049-2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010, याचिका संख्या 1862/2013 और माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.17 तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7818/17 श्री नन्दकिशोर द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 12.07.17 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.17 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. संख्या 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 13952/16, 13473/16, 13930/16, दिनांक 30.05.17 के विरुद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस.एल.पी. के निर्णय के

वित्त(राजस्व)विभाग, क नं 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, राजस्थान, जनपथ, जयपुर (राज) फोन 0141-5153222,5153223, Ext. 4418,4456 Fax 0141-2385753 web. www.finance.rajasthan.gov.in email; dsrev.fd@rajasthan.gov.in

अध्यधीन रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेंगी।

2. विशेष पिछड़ा वर्ग (S.B.C.) की 01 रिक्ति विज्ञापित है, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा कैप्टन गुरविन्दर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1645/2016) निर्णय दिनांक 09.12.16 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 3042-3044/2017 में दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 03.02.17 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.17 के अनुसारेण में प्रभावस्वरूप सेवा आवंटन किया है। विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी मेरिट सं. 208 सतीश बैसला को अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने के लिये कृपया विभाग में 01 अधिसंख्य पद (Supernumerary Post) सृजित किया जावें। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन उक्त एस.बी.सी. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (Temporary) आधार पर रखी जावें। Supernumerary Post के लिये वित्त विभाग से सैद्धान्तिक सहमति कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अधिसंख्य पद के सृजन हेतु वित्त विभाग से औपचारिक अनुमति हेतु भी आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करावें। अभ्यर्थियों के स्वयं की मेरिट के आधार पर 01 रिक्ति कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.05.17 की पालना में लेखा सेवा में रखी गई है, जिस पर सेवा आवंटन की अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसारेण में नियम पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 7 (1)(1) के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों ओर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
8. इस अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल के विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनके एक दक्ष लेखाधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेगे।


11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामले को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी दिनांक 02.05.2018 तक इस विभाग को आवश्यक रूप से (कमरा नं. 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवलाय, जयपुर) उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
13. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आग्र प्रोविजनल अंकित किया गया है) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अधधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
14. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
15. अभ्यर्थियों के नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
16. जिन अभ्यर्थियों ने मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया है वे अभ्यर्थी इस विभाग में मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित हो।
17. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(सजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित "बन्धक पत्र" विहित प्रारूप में निस्पादित करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावे।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को उनकी अशा.टीप. क्रमांक प. 9(190)कार्मि/क-4/2/2017 दिनांक 20.04.2018
8. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
10. अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
11. श्री रघुनाथ राम, पुत्र श्री जय राम, गांव-मिथारिया, तहसील डेगाना, जिला-नागौर, 341503
12. श्री महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री श्रीराम, गांव मेहारी, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू 331403

13. श्री शैलेन्द्र चारण, पुत्र श्री भंवरदान, ग्राम मेरवा चारणान, तहसील तिवरी, ज़िला जोधपुर, हाल निवासी 69 आदर्श नगर, लाल सोगर रोड़, जोधपुर-342026
14. श्री हनुमान प्रसाद, पुत्र श्री हंसराज, गांव रायसिंहपुरा पोस्ट ऑफिस दलपतपुरा, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़-335523
15. श्री हरिमोहन शर्मा, पुत्र श्री चन्द्रशेखर शर्मा, विनायक नगर, वार्ड नं. 2 जयपुर बाईपास रोड़, दौसा-303303
16. श्री सहीराम पुत्र श्री जेताराम, गांव भाटीप, पोस्ट ऑफिस पमाण, तहसील-रानीवाडा, जिला जालौर-343040
17. श्री राजेन्द्र पूनिया, पुत्र श्री जय राम पूनिया, गांव लवारी, पोस्ट सितारा, तहसील पिपाड शहर, जिला जोधपुर-342601
18. श्री अमित कुमार शर्मा, पुत्र श्री त्रिलोक चन्द उपाध्याय, 225/1, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, विस्तार पुस्कर रोड़, अजमेर-305001
19. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली।
20. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव